

प्रीत. निर्णय दिनांक 7-11-2019
राजस्व अपील सं. 2/2013, चौथी बंदा राणा, वंगराह
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

N. Fresh

Not Press

वकील अपील

7-11-19

अपीलांत के वकील उपस्थित / रजिस्ट्रार सं-2
की ओर से सरकारी वकील उपस्थित / वकील
अपीलांत ने इस अपील प्रार्थना पत्र को Not press
किया है / रजिस्ट्रार वकील सं-2 की ओर से सरकारी
वकील ने कोई आपात्त नहीं की है। अतः अपीलांत
की अपील Not press में स्वीरिज की जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम है। आदेश सरे इजलास सुनया गया।

(हरगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

